न्यायालय उपखंण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 75 / 2023

GCMS No- 2023/222

1. भगतराम पुत्र चम्पाजी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी बाडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. ग्यारसी पुत्री चम्पाजी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी बाडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. चन्दा पुत्री चम्पाजी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी बाडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. मुन्नी पुत्री चम्पाजी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी बाडी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. राजी पुत्री चम्पाजी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी बाडी तह0निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
6. रामकन्या पुत्री चम्पाजी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी बाडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
7. लाली पत्नि चम्पाजी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी बाडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

.... प्रार्थियागण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज

.... विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री मदनलाल चपलोत– अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार तहसीलदार– स्वयं उपस्थित

दिनांक 16.05.2023

::निर्णय::

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा बाडी प0 ह0 बाडी तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 299 के आराजी नं0 1383 / 1047 रकबा 0.0400 हैक्टेयर लगानी 1 रुपये 2 पैसा, आराजी नं० 1384 / 1191 रकबा 0.4200 हैक्टेयर लगानी 5 रुपये 04 पैसा, भूमि स्थित है। वास्ते साक्ष्य नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।
2. यह कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की [illegible] कब्जे काश्त की चली आ रही है उक्त आराजियात के पुराने नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण [illegible] आराजी नं० 1383 / 1047 एवं आराजी नं० 1384 / 1191 के पूर्वी दिशा में करीब 20 फीट चौड़ा [illegible] गडार रास्ता (जो नक्शे मे डोटेड लाईन से दर्शाया हुआ है) [illegible] हुआ है [illegible] आगे आम रास्ता आराजी नं0 1195 [illegible] में राजस्व कर्मचारियों की [illegible] की दर्ज चला आ रहा था। जबकि [illegible] जो नक्शे में डोटेड लाईन से दर्शाया वजह से नवीन नक्शा ट्रेस में उक्त गाडी गडार रास्ता जो नक्शे में डोटेड लाईन से दर्शाया हुआ था उक्त रास्ते को पक्का रास्ता दर्ज कर दिया तथा उसके आगे स्थित आम रास्ते की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:06:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Scanned with OKEN Scanner

आराजी नं० 1195 को हटा कर उसके स्थान पर खातेदारी की आराजी नं0 1157 को दर्शा दिया गया हैं, जबकि उक्त करीब 20 फीट चौडा गाडी गडार रास्ता (जो नक्शे मे डोटेड लाईन से दर्शाया हुआ है) जो प्रार्थीगण की आराजी नं0 1383/1047 एवं आराजी नं० 1384/1191 के पूर्वी दिशा से लगा हुआ है, तथा मौके पर प्रार्थीगण अपनी आराजियात पर आराजी नं0 1195 रास्ते की भूमी का उपयोग कदीम से करते चले आ रहे है।राजस्व कर्मचारियो की गलती की वजह से नवीन नक्शा ट्रेस में गाडी गडार रास्ते को पक्का दर्शाते हुवे, आराजी न. 1195 रास्ते की भूमी के नम्बर को गलत रूप से तरमीम कर रास्ते की भूमी के स्थान पर खातेदारी की आराजी न. 1157 को दर्शा दिया है जो पूराने नक्शा ट्रेस में ही रूप से तरमीम था । इसलिए उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों की गलती से गलत रूप से तरमीम हो गया है तथा उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में अंकन पुराने नक्शा ट्रेस अनुसार नवीन नक्षा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक प्र.गा.स. अ./2023/1118 दिनांक 16.05.2023 के अनुसार भगतराम पिता चम्पा बलाई नि. बाडी ने राजस्व गाव बाडी में आराजी न. 1195 रकबा 0.33 किस्म गै.मु. सडक तथा आराजी न. 1157 रकबा 0.35 है। जो रतन लाल पुत्र रामा भील के दर्ज रेकार्ड है में वर्तमान नक्शा शुद्धी हेतु वाद दायर किया है, जिसकी बिन्दुवार रिपोर्ट पटवार हल्का बाडी, भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट अनुसार निम्नानुसार है।

1 यह कि वर्तमान नक्शे में आराजी न. 1157 को आगे बढ़ाते हुए आराजी न. 1195 की जगह दर्ज कर दिया जिसका नजरी नक्शा पटवार हल्का द्वारा तैयार कर संलग्न है।

2 पुराने नक्शे में आराजी न. 1384/1191 और 1191 जो कि खातेदारी की जमीन है। में डोटेड कदीमी नक्शा बना हुआ है। आराजी न. 1157 आराजी न. 1384/1191 तक दर्ज रेकार्ड था। परन्तु वर्तमान नक्शे मे वन टू वन मेपिंग (सेग्रिगेशन) के दौरान डोटेड कदीमी नक्शे को पक्का किया जाकर आराजी न. 1195 डाल दिया गया तथा पुराने नक्शे में दर्ज आराजी न. 1195 की जगह भी 1157 दर्ज हो गया ।

3 नक्शे में हुई त्रुटी की वजह से आराजी न. 1384/1191 तथा आराजी 1191 का नक्शे मे रकबा कम हो गया और 1195 तथा 1157 का रकबा भी बदल गया ।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया।

4. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार निम्बाहेडा की अनुशंषा प्रतिवेदन ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेजो के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1384/1191 एंव अन्य आराजी नम्बर 1191 मीन की सीमा में ही पूर्वी मेड पर डोटेड कदीमी रास्ता सेग्रिगेशन से पूर्व नक्शे में दर्ज था एंव उक्त दोनो आराजियात के पूर्वी दिशा में आराजी नम्बर 1195 रास्ता स्थित था । सेग्रिगेशन के दौरान नक्शे में हुई त्रुटि को दुरस्त किया जाना प्रार्थीगणों के न्यायहित में न्यायोचित प्रतीत होता हैं ।

आदेश

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि नक्शे में दर्ज वर्तमान आराजी 1195 की पश्चिमी मेड को डोटेड दर्शाया जाकर इस आराजी के पश्चिमी दिशा में स्थित आराजी नम्बर 1384/1191 एंव 1191 में सम्मिलित किया जावे एवं आराजी नम्बर 1156 की दक्षिणी मेड आराजी नम्बर 1384/1191 की उत्तरी मेड के बराबर करते हुए आराजी नम्बर 1156 की शेष दक्षिण दिशा की भूमि को आराजी नम्बर 1195 दर्ज किया [illegible]।

तहसीलदार, निम्बाहेडा निर्णय अनुसार नक्शा रिकॉर्ड मे तरमीम करते हुए पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:06:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय आज दिनांक 16.05.2023 को कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बाडी लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

16/5/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.01.06 18:06:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner